नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू

संख्या: नराकास/जम्मू/बैठक/2012-राभा. **दिनांक: 20.12.2012**

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की छमाही बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 को सायं 3.30 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की छमाही बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 (मंगलवार) को अपराह्न 3.30 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक एवं नराकास अध्यक्ष डॉ. राम विश्वकर्मा ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री शैलेश कुमार सिंह, उप निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 (दिल्ली), सरोजिनी नगर, नई दिल्ली तथा श्री राकेश कुमार, उप निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), गाजियबाद से भी बैठक में उपस्थित हुए। श्री राजेश पुरी, आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जम्मू, श्री ए.के.तथई, आयुक्त, आयकर कार्यालय, जम्मू, श्री आर.एन.मीना, डी.टी.एम., उत्तर रेलवे, जम्मू, श्री बी.डी.बोहरा, महाप्रबंधक, नवार्ड बैंक, दिल्ली, श्री चन्द्रमोहन, महाप्रबंधक एन.एच.पी.सी.सलाल परियोजना, रियासी, संस्थान के वरि. वैज्ञानिक डॉ. आर.के रैणा तथा नगर जम्मू के केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों से पधारे सभी कार्यालय अध्यक्ष/वरि. हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अधिकारी/राजभाषा अधिकारी/नोडल अधिकारी/हिन्दी अनुवादक तथा प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी संवाददाता उपस्थित थे। बैठक में अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या 85-90 प्रतिशत से अधिक थी। जिसमें कार्यालय अध्यक्षों की संख्या 80 प्रतिशत थी।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सज्जनों का स्वागत डॉ. अमर सिंह, वरि. हिन्दी अधिकारी एवं सचिव, नराकास, जम्मू ने किया। उन्होंने अपने स्वागत संबोधन में कहा, ''कि इस बैठक में प्रथम अप्रैल, 2012 से 30 सितम्बर, 2012 के दौरान आपके कार्यालय में राजभाषा हिन्दी में किये गये कार्यो की समीक्षा तथा इससे संबंधित आपके कार्यालयों में उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। जिसके अन्तर्गत धारा 3(3) का हम सबको अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। यही संविधान की मूलभावना के अनुरूप होगा। सभी भारतीय भाषाएं देश की एकता की प्रतीक हैं। भारतीय संविधान में जो प्रावधान किये गये हैं इसी के अनुसार हमें आदेशों/अनुदेशों का पालन करना चाहिए और राष्ट्रपति जी के संकल्पों का सम्मान करना चाहिए। संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है, जिसके अनुसार हम कार्यालयों में राजभाषा के कार्य सम्पन्न करते हैं। चूंकि सरकारी कामकाज में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिन्दी का ही प्रयोग किया जाए।''

तत्पश्चात् बैठक में उपस्थित सदस्यों के परिचय के साथ ही बैठक की कार्रवाई आरम्भ हुई। सचिव ने गत बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा के दौरान कहा कि सम्माननीय सदस्यों की कोई प्रतिक्रिया, सुझाव अथवा आपत्ति हो तो वे अपने विचार रखें लेकिन माननीय उपस्थित सदस्यों की ओर से कोई आपत्ति एवं प्रतिक्रिया न मिलने पर सचिव ने अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

गत बैठक में लिए गये निर्णय और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई इस प्रकार हैं:-

1. अध्यक्ष, नराकास कार्यालय द्वारा हिन्दी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन गया जिसमें सभी सदस्य कार्यालयों के प्रतियोगियों को आमंत्रित किया गया ।
2. सितम्बर, 2012 के दौरान नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों द्वारा हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/मास का विशेष उत्साह के साथ आयोजन किये गये और उनकी रिपोर्टे प्राप्त हुई ।
3. नराकास, जम्मू के सभी सदस्य कार्यालयों की आई.डी. ई-मेल तैयार की गयी और अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति, भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू कार्यालय द्वारा आई.डी. ई-मेल के माध्यम से पत्राचार किया जा रहा है, जो राजभाषा नीति के कार्यान्वियन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
4. नराकास, जम्मू कार्यालय द्वारा अन्तर्विभागीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें नगर समिति के सभी सदस्य कार्यालयों को आमंत्रित किया गया और विजयी प्रतियोगितयों को अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह में प्रमाण-पत्र प्रदान किये।
5. गत बैठक में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय ने एक स्मारिका का विमोचन किया और उसकी प्रति सभी सदस्य कार्यालयों को तथा बाहर भी वितरित की गयी।
6. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी में मूल कार्य 'टिप्पण आलेखन' के लिए मानदेय बढ़ाने संबंधी राजभाषा विभाग के पत्र संख्या 11/12013/01/2011-राभा.(नीति) दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के आदेशानुसार अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने संबंधी कार्यालय आदेश सभी सदस्य कार्यालयों को जारी किया गया है और नराकास की राजभाषा पत्रिका 'ज्ञानवार्ता' अंक-3 में प्रकाशित किया गया है।
7. मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार योजना संबंधी कार्यालय ज्ञापन की जानकारी सभी सदस्य कार्यालयों को दे दी गयी है।
8. नराकास, जम्मू के सदस्य कार्यालयों द्वारा उनकी गृह पत्रिकाएं प्रकाशित की गयी है, जिसमें (1) नराकास, जम्मू की गृह पत्रिका **'ज्ञानवार्ता'** अंक-3, (2) पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू की गृह पत्रिका **'त्रिकुटा'** अंक-8, (3) एन.एचपी.सी. क्षेत्र-।, जम्मू कार्यालय द्वारा गृह पत्रिका **'त्रिकुटा समाचार',** (4) पावर ग्रिड कारपोरेशन, पारेषण प्रणाली, क्षेत्र-।।, जम्मू कार्यालय द्वारा गृह पत्रिका **'तवी प्रवाह'** अंक-10, (5) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जम्मू-श्रीनगर द्वारा राजभाषा गृह पत्रिका **'ताज़-ए-हिन्द'** अंक-1 (6) प्रसार भारती, रेडिया कश्मीर, जम्मू की गृह पत्रिका **'तविषी',** अंक-1 (7) मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड, जम्मू द्वारा राजभाषा गृह पत्रिका **'चिनारवाणी'** आदि पत्रिकाएं निरन्तर प्रकाशित की जा रही हैं।
9. गत बैठक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गृह पत्रिका के प्रकाशन पर विचार हुआ था। इस बारे में सम्पादक मंडल की बैठक हुई और विधिवत रूप से अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से संपादक मंडल का गठन किया गया और नराकास जम्मू की दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 को बैठक में **संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष, नराकास डॉ. राम विश्वकर्मा ने नराकास जम्मू छमाही राजभाषा गृह पत्रिका ''ज्ञानवार्ता'' के तृतीय अंक का विमोचन किया गया।** इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

10. अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2011-2012 के लिए राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए जिन सदस्य कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान किये गये उनके नाम इस प्रकार हैः- (1) डॉ. राम विश्वकर्मा, निदेशक, भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू (2) श्री राजेश पुरी, आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जम्मू (3) श्री ए.के.तथई, आयुक्त आयकर, आयकर कार्यालय, जम्मू/श्रीनगर (4) श्री गुरेन्दर जीत सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्ब पुलिस बल, जम्मू सेक्टर मुख्यालय, जम्मू (5) श्री आर.एन.मीणा, मंडल यातायात प्रबंधक, उत्तर रेलवे, जम्मू (6) श्री अशोक गुप्ता, उप महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक (क्षेत्रीय कार्यालय) जम्मू (7) श्री अजीत कुमार जैन, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (प्रशासनिक कार्यालय), जम्मू (8) श्री सुरेश कनौजिया, सहायक महाप्रबंधक, आई.डी.बी.आई.बैंक, ग्रिड भवन, रेल हेड काम्पलेक्स, जम्मू (9) श्री एस.सी. रावड़ा, मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नवार्ड), क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू (10) कार्यपालक निदेशक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जम्मू (11) कार्यपालक निदेशक, एन.एच.पी. सी.लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय (क्षेत्र-1), जे.डी.काम्पलेक्स, जम्मू (12) श्री शबीर मुज़ाहिद, निदेशक, भारतीय प्रसारण निगम, दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू (13) श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंश कम्पनी लि., मंडलीय कार्यालय, जम्मू आदि सदस्य कार्यालयों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये।

तदोपरान्त प्रथम अप्रैल, 2012 से 30 सितम्बर, 2012 के दौरान प्राप्त दोनों प्रगति रिपोर्टो की समीक्षा का संक्षिप्त ब्यौरा सदस्य कार्यालयों के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें विभिन्न कार्यालयों की स्थिति इस प्रकार हैः-

प्रथम अप्रैल, 2012 से 30 सितम्बर, 2012 के दौरान प्राप्त दोनों तिमाही प्रगति रिपोर्टो की समीक्षाः-

केन्द्रीय कार्यालय

1. फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल
2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रचालन (जम्मू व कश्मीर)
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, के.रि.पु.बल जम्मू रेंज
4. रक्षा सम्पदा प्रधान निदेशालय
5. 52वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
6. 110वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
7. 152वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
8. 135 बटालियन सीमा सुरक्षा बल
9. पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र,के.रि.पु.बल
10. 32वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
11. 76वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल
12. पुलिस महानिरीक्षक, सेक्टर मुख्यालय, के.रि.पु.बल
13. 23 विंग वायु सेना
14. कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
15. 53वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
16. रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय
17. भारतीय समवेत औषध संस्थान
18. कार्यालय महालेखाकार (हकदारी)
19. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक उत्तरी कमान
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय प्रादेशिक कार्यालय
21. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
22. पत्र सूचना कार्यालय
23. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग
24. क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, मीरा साहिब
25. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान
26. कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल
27. भारतीय सर्वेक्षण विभाग
28. मुख्य अभियंता सम्पर्क परियोजना
29. कार्यालय आयकर आयुक्त (ज.व.क.)आयकर भवन
30. राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय
31. 121वीं बटालियन के.रि.पु.बल, कठुआ
32. केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू
33. कोयला खान भविष्य निधि
34. डी.ओ.ई.ए.सी.सी.केन्द्र
35. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान
36. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र
37. केन्द्रीय एकीकृत एवं नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र
38. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय
39. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
40. क्षेत्रीय तसर अनुसंधान संस्थान
41. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड
42. विदेश व्यापार का कार्यालय
43. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला
44. राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान प.हिमालय क्षेत्रीय केन्द्र
45. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

बैंक

46. भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक कार्यालय
47. पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय जम्मू व कश्मीर
48. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
49. आई.डी.बी.आई.बैंक, जम्मू

50. बैंक ऑफ बड़ौदा
51. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड) क्षेत्रीय कार्यालय
52. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

कारपोरेशन/निगम

53. एन.एच.पी.सी.लि.,दुलहस्ती पावर स्टेशन किस्तवाड़
54. पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र-।।
55. भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डलीय कार्यालय
56. सलाल पावर स्टेशन एन.एच.पी.सी.लि.ज्योतिपुरम्
57. भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय
58. रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
59. एअर इण्डिया लिमिटेड
60. भारतीय प्रसारण निगम रेडियो कश्मीर
61. दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि.मं.कार्या.-1
62. एन.एच.पी.सी.लि., कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-।) कार्यालय
63. हडको क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू
64. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस क.लि. मण्डल कार्यालय-।।
65. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय दूरसंचार निगम लि.
66. भारतीय प्रसार निगम दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू
67. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जम्मू
68. भारतीय खाद्य निगम जिला कार्यालय, जम्मू

राजभाषा नीति कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं:-

1. राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष **वार्षिक कार्यक्रम** जारी करता है और पूरे वर्ष इस कार्यक्रम के तहत ही राजभाषा के कार्य सुनिश्चित् किए जाएं और बैठकों में कार्यक्रम पर चर्चा भी की जाए और लिए गये निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
2. प्रत्येक सदस्य कार्यालय राकास की बैठकों में हिन्दी पुस्तकों के क्रय पर चर्चा करें और उस चर्चा के दौरान लिए गये निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित् करें। यदि संभव हो तो भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत पुस्तकें ही मंगवाएं या www.vaniprakashan.in पर देखें ।
3. धारा 3(3) के कार्यान्वयन पर प्रत्येक सदस्य कार्यालय राकास की बैठकों में चर्चा करें और इस बारे में किये गये पत्राचार के अन्तर्गत 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में भेजे गये पत्रों की समीक्षा करें तथा कार्यालयी फाइलों पर मूल टिप्पण के बारे में भी कार्रवाई सुनिश्चित् करवाएं। प्रत्येक सदस्य कार्यालय कार्यालयाध्यक्ष की उपस्थिति में बैठकों का नियमित आयोजन हो तथा बैठकों में लिए गये निर्णयों पर क्रमवार कार्यवृत्त में अनुवर्ती कार्रवाई को प्रदर्शित करें ।
4. तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्टे प्रत्येक तिमाही के समाप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत राजभाषा विभाग, अपने मुख्यालय तथा अध्यक्ष, नराकास कार्यालय को भिजवाएं।
5. अक्सर देखा गया है कि कुछ सदस्य कार्यालय तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्टे, राकास की बैठकों के कार्यवृत्त उनके कार्यालय द्वारा प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कृपया वे सुनिश्चित करें कि अपने कार्यालय में राजभाषा नीति कार्यान्वयन की दिशा में किए गये कार्यो की रिपोर्ट अवश्य भिजवाएं। प्रत्येक कार्यालयों से यह भी अनुरोध है कि अपने कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएं, संगोष्ठी, राजभाषा सम्मेलन तथा हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक तिमाही के दौरान जैसाकि माननीय संसदीय समितियों द्वारा निरीक्षण के दौरान आदेश भी किए गये है और राजभाषा नियम के तहत ऐसे प्रावधान भी हैं कि राजभाषा नीति को प्रभावी बनाने की दिशा में ऐसे आयोजन करना आवश्यक है।
6. प्रत्येक कार्यालयों में द्विभाषी परिपत्र जो आपके कार्यालयों में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें अपने कम्प्यूटर में द्विभाषी टाइप कर सुरक्षित रखें। ताकि समय रहते उनका प्रयोग सम्भव हो। यदि वेबसाइट पर डालें तो और वेहतर होगा।
7. राजभाषा विभाग के आदेश हैं कि प्रत्येक कार्यालय अपने स्तर पर अपनी वेबसाइट द्विभाषी करवाएं।
8. विज्ञापन क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी/अंग्रेजी में प्रकाशन हेतु कार्रवाई करें।
9. हिन्दी भाषा प्रशिक्षण हेतु अपने-अपने कार्यालय से शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार हिन्दी शिक्षण योजना, 33 कर्ण नगर, जम्मू के अन्तर्गत अवश्य नामित करें।

10. समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ज्ञानवार्ता के प्रकाशन हेतु प्रत्येक सदस्य कार्यालय से रू.1500/- अंशदान के रूप में देय थे। जबकि अब यह राशि चतुर्थ अंक के लिए रू.2000/- कर दी गयी है। जोकि प्रत्येक सदस्य कार्यालय से देय होगी।
11. कुछ सदस्य कार्यालयों के सौजन्य से नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति, जम्मू के तत्वावधन में दो दिवसीय राजभाषा सम्मेलन/यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च, 2013 के द्वितीय सप्ताह में आयोजित किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक सदस्य कार्यालय के हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवादक/नोडल अधिकारी/हिन्दी सहायक भाग लेंगे।

बैठक में राजभाषा नीति कार्यान्वयन पर चर्चा एवं सदस्यों की प्रतिक्रियाएं उनके महत्वपूर्ण सुझाव जो इस प्रकार हैः-

1. श्री शैलेश कुमार सिंह, उपनिदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय दिल्ली अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘कि नराकास जम्मू की ओर से राजभाषा पत्रिका ‘‘**ज्ञानवार्ता**’’ का प्रकाशन महत्वपूर्ण उपलब्धि है और राजभाषा नीति कार्यान्वयन की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास हैं उन्होंने अध्यक्ष महोदय को इस प्रयास के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि जम्मू नराकास राजभाषा कार्यान्वियन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। जो ‘क’ क्षेत्र की अपेक्षा भी उत्कृष्ट प्रयासों के ओर अग्रसर है। यहां कई कार्यालयों में अपनी गृह पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं जिसमें पावर ग्रिड कारपोरेशन, जम्मू, पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय-I, जम्मू, रेडियो कश्मीर, जम्मू, मुख्य महाप्रबंधक, बीएसएनएल., जम्मू, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जम्मू, एन.एच.पी.सी. क्षेत्र-I कार्यालय, जम्मू आदि के माध्यम से प्रकाशित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012-2013 का राजभाषा सम्मेलन अध्यक्ष, नराकास कार्यालय के सहयोग से करने का प्रस्ताव है जो मार्च, 2013 में करने का है उन्होंने यह भी कहा कि सम्मेलन के आयोजन हेतु प्रत्येक कार्यालय से सहयोग राशि देने की अपेक्षा की जिससे आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जा सके। उन्होंने सभी सदस्य कार्यालयों से सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की साथ ही उन्होंने 17.12.2012 को एक समिति का गठन अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में किया है। जिसमें दस कार्यालयों को शामिल किया गया है।
2. महाप्रबंधक, एन.एचपी.सी. सलाल परियोजना श्री चन्द्रमोहन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रसन्नता है कि पहली बार राजभाषा सम्मेलन जम्मू में आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन में आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता होगी। जिसके लिए सभी सदस्य सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि नराकास की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हो रही हैं और हम सबका दायित्व है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम व संसदीय समितियों द्वारा निरीक्षण के समय सभी को सहयोग करना चाहिए।
3. श्री अशोक गुप्ता, उपमहाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी कार्यालय एक दूसरे कार्यालय को सूचनाएं दें उन्होंने सम्मेलन के आयोजन के संबंध में अपने सुझाव में कहा कि इस बारे में एक समिति का गठन किया जाए। जहां तक खर्चे की बात है इसके लिए बराबर-बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित् की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ छोटे कार्यालय भी हैं जिनके पास अंशदान देने की क्षमता नहीं है।
4. उत्तर रेलवे जम्मू के डिवीजनल ट्रैफिक मैनेजर श्री आर.एन.मीना ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए हिन्दी के विकास के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दी हमारे देश की मूल अभिव्यक्ति है। रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है जिसके अन्तर्गत हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिए विशेष संभवनाएं हैं। हमें प्रसन्नता है कि राजभाषा विभाग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में राजभाषा सम्मेलन होगा और हम सबको हर प्रकार का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जम्मू राजभाषा की प्रगति के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इसके लिए हम अध्यक्ष डॉ. राम विश्वकर्मा जी का आभार व्यक्त करते हैं।

5. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जम्मू व कश्मीर के आयुक्त, श्री राजेश पूरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे दैनिक बोल-चाल की भाषा सरल, सरस और सहज रूप से प्रयोग की भाषा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि हम अधिकांश रूप से किलिष्ट एवं संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग करते हैं। चाहे गद्य हो या पद्य अथवा आम बोली के रूप में सहज रूप से भाषा का प्रयोग करना चाहिए तभी भाषा का विकास होगा।
6. संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष, नराकास जम्मू डॉ. राम विश्वकर्मा ने सभागार में उपस्थित नगर के कार्यालय प्रमुखों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि इस प्रकार की बैठकों का आयोजन हम सब मिलकर संयुक्त रूप से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में करने का सुझाव दिया और उन्होंने अगली बैठक के लिए किसी अन्य कार्यालय में आयोजित करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। संस्थान में हिन्दी पुस्तकों के उपलब्धता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमने भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत महत्वपूर्ण पुस्तकें जो इस वर्ष के दौरान प्रकाशित हुई हैं जिन्हें पुस्तकालय के माध्यम से क्रय करवायी हैं साथ ही उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर कल्चरल एकैडमी के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है, उन्होंने राजभाषा सम्मेलन जो प्रथम मार्च, 2013 को नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति, भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के सभागार में आयोजित करने पर पूर्ण सहमति व्यक्त की साथ ही उन्होंने समिति को आश्वस्त किया कि राजभाषा सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रम की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया और हर पन्द्रह दिन के बाद स्वयं इसकी समीक्षा करने को कहा। इस वर्ष लगभग समिति के सभी कार्यालयों ने बड़े बेहतर ढंग से हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े आदि आयोजित किए आप इसी श्रृंखला को भविष्य में भी कायम रखेंगे। गृह पत्रिका **'ज्ञानवार्ता'** का तृतीय अंक आपको समर्पित है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सरकार के आदेशों/अनुदेशों/नियमों का पालन करना है, क्योंकि हम सरकारी नियमों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें आशा है कि अगले अंक में भी आप अच्छी रचनाएं एवं लेख प्रस्तुत करेंगे। सभी लेखकों, रचनाकारों, संपादक एवं संपादक मंडल को हार्दिक बधाई। हिन्दी से जुड़े स्टॉफ सदस्यों ने अपने कार्यालयों में हिन्दी के लिए अच्छे कार्य सम्पादित करने वाले हिन्दी अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों/राजभाषा अधिकारियों/हिन्दी सहायकों एवं अन्य हिन्दी प्रेमियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए जा रहे हैं और कुछ कार्यालय भी जो हिन्दी की प्रगति के लिए अच्छा वातावरण बनाए हुए हैं। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं और संस्थान के वरि. हिन्दी अधिकारी, डॉ. अमर सिंह ने जो इस समिति के सदस्य के रूप अपनी सेवाएं दे रहें हैं और सभी कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों से मिलकर समिति में हिन्दी कार्यान्वयन को दिशा देने में उनका योगदान भी सराहनीय है।

अन्त में सदस्य सचिव, डॉ. अमर सिंह ने अध्यक्ष महोदय तथा संस्थान के निदेशक डॉ. राम विश्वकर्मा जी का बैठक में महत्वपूर्ण समय देने के लिए उनके विशिष्ट योगदान के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली से उपनिदेशक, श्री शैलेश कुमार सिंह ने भी अपना बहुमूल्य समय दिया हम उनके विशेष आभारी हैं, नराकास जम्मू के सभी केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के कार्यालय प्रमुखों, हिन्दी अधिकारियों/हिन्दी अनुवादकों एवं नगर के प्रिन्ट व इलैक्ट्रानिक मीडिया के सभी संवाददाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया का सदैव इस बैठक में सहयोग रहा है। बैठक के आयोजन में प्रबंधन के लिए संस्थान के समस्त स्टॉफ सदस्यों का आभार सहित धन्यवाद किया।

डॉ. राम विश्वकर्मा
अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

डॉ. अमर सिंह
सदस्य-सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू